

दृष्टिगत होटल भवन मानचित्र जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर निस्तारण क
हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उपविधि में इंगित
प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग होटल की अनुमति से पूर्व होटल भवन मानचित्र पर
जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समिति द्वारा
आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए ऐसे प्रकरणों जिनमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न हो, के
लिए अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मानचित्र
स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन
की पुष्टि मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने तथा जिन
प्रकरणों में आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं उनमें आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त
आगामी तकनीकी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय सं०-8 मोहन लाल लधानी के भूखण्ड सं०-टी०जी०/5, खसरा सं०-73, मौजा-चिनहट,
क्षेत्रफल-2700.00 वर्गमी० पर प्रस्तावित होटल भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति: मोहन लाल लधानी के भूखण्ड सं०-टी०जी०/5, खसरा सं०-73,
मौजा-चिनहट, क्षेत्रफल-2700.00 वर्गमी० पर प्रस्तावित होटल मानचित्र प्रस्तुत किया गया है।
भूखण्ड लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय दर्शित है। उपविधि में इंगित प्राविधानों के
अनुसार आवासीय भू-उपयोग होटल की अनुमति से पूर्व होटल भवन मानचित्र पर जन साधारण
से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव
आमंत्रित करते हुए ऐसे प्रकरणों जिनमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न हो, के लिए अन्य विभागों
से अनापत्ति प्राप्त कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मानचित्र स्वीकृति की
कार्यवाही किये जाने एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पुष्टि
मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने तथा जिन प्रकरणों में
आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं उनमें आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त आगामी तकनीकी
बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय सं०-9 साई रतन प्रेस्टिज के भूखण्ड सं०-68 से 74 एवं 77 से 84 तक, ग्राम-कमलाबाद
बढ़ौली, तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ क्षेत्रफल-3586.53 वर्गमी० पर प्रस्तावित समूह
आवास योजना का शमन मानचित्र।

समिति की संस्तुति: साई रतन प्रेस्टिज के भूखण्ड सं०-68 से 74 एवं 77 से 84 तक,
ग्राम-कमलाबाद बढ़ौली, तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ क्षेत्रफल-3586.53 वर्गमी० पर
निर्मित समूह आवास योजना का शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। स्थल विद्यमान 12.00 मी०
चौड़ी सड़क पर स्थित है। भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, सेटबैक, पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं
विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत है। तकनीकी परीक्षण तालिका
में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व
शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पुष्टि मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त शमन
मानचित्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं०-10 लखनऊ विकास प्राधिकरण के खसरा सं०-230, 231, 232, 233, 234, 236, 237,
ऐशबाग रोड, ऐशबाग, लखनऊ, क्षेत्रफल 15121.81 वर्गमी० के समूह भवन मानचित्र के सम्बन्ध
में।

समिति की संस्तुति: लखनऊ विकास प्राधिकरण के खसरा सं०-230, 231, 232, 233, 234, 236,
237, ऐशबाग रोड, ऐशबाग, लखनऊ, क्षेत्रफल 15121.81 वर्गमी० पर समूह भवन मानचित्र क्रय
योग्य एफ०ए०आर० सहित प्रस्तुत किया गया है। स्थल 18.00 मी० चौड़े मार्ग पर स्थित है तथा
महायोजना में भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। मानचित्र में भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, सेटबैक,
पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत

1. तकनीकी परीक्षण तालिका में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पुष्टि मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं०-11 मेसर्स अवस्थी होटल्स एण्ड रिसार्ट, प्रा० लि० के खसरा सं०-285 से 288 तक, ग्राम-बेहसा, बिजनौर, क्षेत्रफल 10655.00 वर्गमी० द्वारा प्रस्तावित होटल भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति: मेसर्स अवस्थी होटल्स एण्ड रिसार्ट, प्रा० लि० के खसरा सं०-285 से 288 तक, ग्राम-बेहसा, बिजनौर, क्षेत्रफल 10655.00 वर्गमी० द्वारा प्रस्तावित होटल भवन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। भूखण्ड लखनऊ महायोजना-2031 में आवासीय दर्शित है। उपविधि में इंगित प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू-उपयोग होटल की अनुमति से पूर्व होटल भवन मानचित्र पर जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समिति द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए ऐसे प्रकरणों जिनमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न हो, के लिए अन्य विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पुष्टि मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने तथा जिन प्रकरणों में आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं उनमें आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त आगामी तकनीकी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय सं०-12 मेसर्स इफेल इन्फाडेवलपर्स प्रा० लि० के खसरा सं०-481, 480क, 479क, 477, 615, 614(भाग), 616(भाग), 617(भाग), ग्राम-मस्तेमऊ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ क्षेत्रफल 22662.34 वर्गमी० पर प्रस्तावित समूह आवास भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति: मेसर्स इफेल इन्फाडेवलपर्स प्रा० लि० के खसरा सं०-481, 480क, 479क, 477, 615, 614(भाग), 616(भाग), 617(भाग), ग्राम-मस्तेमऊ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ क्षेत्रफल 22662.34 वर्गमी० पर प्रस्तावित समूह आवास भवन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। स्थल महायोजना 45.00 मी० चौड़े मार्ग पर स्थित है तथा भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। मानचित्र में भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, सेटबैक, पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत है। तकनीकी परीक्षण तालिका में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति एवं मानचित्र निर्गत होने के पूर्व शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पुष्टि मुख्य नगर नियोजक द्वारा करने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विषय सं०-13 एच०सी०एल० प्रा० लि०, आई०टी० सिटी, चक गंजरिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, क्षेत्रफल 404685.60 वर्गमी० पर प्रस्तावित संशोधित तलपट मानचित्र एवं हॉस्टल एवं आवासीय बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर, कन्वीनिएन्ट शॉपिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति: एच०सी०एल० प्रा० लि०, आई०टी० सिटी, चक गंजरिया फार्म, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, क्षेत्रफल 404685.60 वर्गमी० (100 एकड़) पर प्रस्तावित संशोधित तलपट मानचित्र एवं हॉस्टल एवं आवासीय बिल्डिंग, स्टाफ क्वार्टर, कन्वीनिएन्ट शॉपिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। स्थल ले-आउट में 45.00 मी० चौड़े मार्ग पर स्थित है। भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, सेटबैक, पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011/2016) के अन्तर्गत है। पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है। संशोधित तलपट मानचित्र का क्षेत्रफल 25.00 एकड़ से अधिक है। अतः पुनः प्राधिकरण बोर्ड में संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया